v/;k; & vkB

foHkkxh; tkp @vu|'kklukRed dkjlokbl @U;k;ky;hu dk;lokgh ,o vihy dk idj.k

(1) आयोग के परामर्श के लिए विभागीय जाँच /अनुशासनात्मक कार्यवाही /न्यायालयीन कार्यवाही में शास्तियाँ अधिरोपित करने तथा अपील से संबंधित शासन से प्राप्त प्रकरणों की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है :–

अनुक्रमांक	विवरण	प्रकरणों की संख्या
1.	वर्ष के प्रारम्भ में विचाराधीन प्रकरण	081
2.	वर्ष में प्राप्त प्रकरण	162
3.	निराकरण के लिये कुल प्रकरण (अनुक्रमांक 1 एवं 2 का योग)	243
4.	वर्ष में निपटाये गये प्रकरण	167 (परिशिष्ट–20 से 23 सम्मिलित है) इसमें से एक प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया एवं दो प्रकरण में आयोग की राय आवश्यक नहीं होने से मूलतः वापस लौटाये गये ।
5.	वांछित जानकारी /अभिलेखों के अभाव में शासन स्तर पर लंबित रहे प्रकरण	37 परिशिष्ट–24
6.	आयोग के मत हेतु/प्रारूप एवं अनुमोदन हेतु लंबित रहे प्रकरण	39 परिशिष्ट–25
7.	आयोग की राय के अन्यथा निर्णय के प्रकरण (सरल क्रमांक 4 में सम्मिलित है)	निरंक परिशिष्ट–26
	(परिशिष्ट 20 से 26 का योग)	**243**

(2) परिलक्षित सामान्य त्रुटियाँ :–

शासन के विभिन्न विभागों से विभागीय जाँच/अनुशासनिक कार्रवाई / अपील एवं न्यायालयीन कार्यवाही से संबंधित प्रकरण आयोग की राय/सहमति हेतु प्राप्त होते हैं । इन प्रकरणों में प्रायः निम्नलिखित कमियाँ पाई गई है :–

(अ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों का विभागों द्वारा पूरी तरह से पालन न करना,
(ब) प्रकरण से संबंधित अभिलेखों का व्यवस्थित नहीं होना ।
(स) प्रस्ताव पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना ।
(द) प्रकरण की विस्तृत संक्षेपिका एवं आरोपवार विवरण पत्रक उपलब्ध नहीं कराना ।
(ई) अभिलेखों को किसी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया जाना ।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 12–8–64 द्वारा सभी विभागों को निर्देशित किया गया था कि आयोग को प्रकरण भेजते समय प्रकरणों से संबंधित समस्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से भेजे जाएं, किन्तु अभी भी कतिपय विभागों द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है । आयोग आशा करता है कि विभागीय जाँच /अनुशासनिक कार्रवाई के प्रकरण भेजते समय उक्त जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु शासन सभी विभागों को पुनः निर्देशित करेगा ।

(4) आयोग के परामर्श के लिए प्राप्त होने वाले विभागीय जाँच /अनुशासनिक कार्रवाई /अपील या पुनर्विलोकन प्रकरणों के साथ भेजे जाने वाले समस्त अभिलेख और विवरण दस्तावेज पहले से ही निर्धारित हैं, किन्तु फिर भी यह देखा गया है कि किसी भी प्रकरण में मामले की विषयवस्तु के संबंध में शासन के निष्कर्ष आरोपवार अंकित नहीं रहते हैं । इसके अलावा जहाँ शासन विभागीय जाँच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो अथवा कुछ भिन्न निष्कर्षों पर पहुँचा हो, वहाँ कई बार असहमति या भिन्न निष्कर्षों के आधार भी स्पष्ट नहीं किये जाते ।

(5) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 16–2–1995 द्वारा शासन के विभागों से विभागीय जाँच/ अनुशासनिक कार्रवाई के प्रकरण आयोग के पत्र दिनांक 2–1–1995 में दिये गये प्रोफार्मा के अनुसार भेजने के निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु शासन के निर्देशों के बावजूद भी प्रकरण निर्धारित प्रोफार्मा में प्राप्त नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण प्रकरणों के परीक्षण में असुविधा होती है । आयोग आशा करता है कि सामान्य प्रशासन विभाग शासन के सभी विभागों को पुनः निर्देशित करेगा ।